

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
शिकायते विभाग ।

सेवा में

हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त ।

यादि क्रमांक 331-जी/2008-1डीजी  
दिनांक चण्डीगढ़ 7-8-2008

विषय :-जिला कष्ट निवारण समितियों के गैर सरकारी सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने बारे ।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

2. जिला कष्ट निवारण समितियों के गैर सरकारी सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने का मामला कुछ समय से राज्य सरकार के विचाराधीन था । मामले में विचारोपरान्त इन समितियों के गैर सरकारी सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है । अतः आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य को पहचान पत्र जारी किए जाये । इन पहचान पत्रों पर जो राशि खर्च आयेगी वह सम्बन्धित उपायुक्तों द्वारा ही वहन की जाएगी । यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी गैर सरकारी सदस्य की सदस्यता किसी कारणवश रद्द की जाती है तो उससे पहचान पत्र वापिस ले लिया जाये ।

उप सचिव, शिकायतें  
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
शिकायतें विभाग ।

7/8/08